न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 76/2024

रामचन्द्र मेघवाल पुत्र कोजूराम जाति मेघवाल निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
2. भागूराम पुत्र जीवणराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मीरा पत्नि नानू जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
4. गिरधारी पुत्र नानू जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
5. सांवरमल पुत्र नानू जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
6. मीरा पत्नि श्रवण जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
7. नाबालिग किशनलाल पुत्र श्रवण आयु 10 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका अपनी माता मीरा पत्नि श्रवण जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
8. इन्द्रा पुत्री श्रवण जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
9. नाबालिग सुखी पुत्री श्रवण आयु 12 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका अपनी माता मीरा पत्नि श्रवण जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
10. नारायणी पत्नि डूंगरराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
11. हरीराम पुत्र डूंगरराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
12. पुजा पुत्री डूंगरराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
13. राजुदेवी पुत्री डूंगरराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
14. नाबालिग परमा पुत्री डूंगरराम आयु 13 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका अपनी माता नारायणी पत्नि डूंगरराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
15. जसुडी पत्नि परताराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
16. नाबालिग टोनी पुत्र परताराम आयु 14 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका अपनी माता जसुडी पत्नि परताराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
17. बुलीदेवी पत्नि लालाराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
18. शिवदयाल पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
19. भीखादेवी पत्नि रामकरण जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

न्यायालय ... अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, (चूरू)

20. मामराज पुत्र रामकरण जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
21. रतनाराम पुत्र रामकरण जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
22. मोहन पुत्र सुरजा जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
23. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू
24. उप पंजीयक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
25. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30-4-2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 534 पांच सो चौतीस तादादी 2.1625 दो दशमलव एक छः दो पांच हेक्टेयर, खसरा संख्या 538 पांच सो अडतीस तादादी 2.6431 दो दशमलव छः चार तीन एक हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी कमशः 33356469/110114500, 41541/127300 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 20.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, चूरू)

22 बाईस साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 25 पच्चीस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। खातेदार रामदेव पुत्र नानू कुंवारा फौत हो चुका है जिसके वारिस वाद में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 03 तीन ता 05 पांच है। खातेदार डूंगरराम पुत्र जगन्नाथ का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वाद में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 10 दस ता 14 चवदह है। खातेदार गोदावरी पत्नि जगन्नाथ का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वाद में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 10 दस ता 18 अठारह है। खातेदार परताराम पुत्र जगन्नाथ का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वाद में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 15 पन्द्रह ता 16 सोलह है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम ढढेरू भांभूवान खसरा संख्या 534, 538 तादादी क्रमशः 2.1625, 2.6431 हेक्टेयर भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। तहसीलदार बीदासर से वादी की हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30-1-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू (seal)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
रामचन्द्र बनाम भगवानाराम आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 76/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम ढढेरू भांभूवान खसरा संख्या 534, 538 तादादी कमशः 2.1625, 2.6431 हेक्टेयर भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। तहसीलदार बीदासर से वादी की हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज................मुबलिग.....................बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह...............

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक...को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30-4-2025

मुहर

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू, सत्यमेव जयते)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू, सत्यमेव जयते)